


18/9/23

प्राथी के अभिमात्र से प्राथी में से कोई
उपस्थित नहीं। अभिमात्र प्राथी को कई बार
अंतराल-अंतराल में आवाजे लगाई गई
परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः यह
पुष्पण अरुम हाजरी अरुम पैरवी में खाजि
किया जाता है। पत्राली फौजदारी शुमार होकर
नम्बर से काम करी जाकर बाद तन्मील
राखिल इफतर ही कौदेश सुनाया गया।


अनिल कुमार अग्रवाल
जिला कलक्टर
धौलपुर (राज०)